कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री शा0 अशोक कुमार बाबू लाल एण्ड कम्पनी,मो0अट्टा वाला , फिरोजाबाद ,उ0प्र0 ।**

प्रा0प0सं0- **312/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री गिरीश चन्द्र जैन,अधिवक्ता ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 27-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें **इक्यूलिपिटस ऑयल (नीलगिरी तेल)** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),वाणिज्य कर,मैनपुरी से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि यह वैट अधिनियम की अनुसुची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री गिरीश चन्द्र जैन,अधिवक्ता उपस्थित हुयें व बताया कि इक्यूलिपिटस ऑयल का प्रयोग लिक्विड गोल्ड हिल को मिक्सिंग कर चूड़ी पर लगाने के काम में ,दवाओं में , दूध पाउडर में होता है । उनके अनुसार वैट अधिनियम की अनुसुची -2 के भाग-ग के कमांक 255 पर Non- Edible Oil [other than hair oils] की प्रविष्टि के अन्तर्गत आने के कारण इस पर 4प्रतिशत की दर से कर देयता है।

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या, विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया। विज्ञप्ति सख्या-क0नि0-2-67/Xi -94-(I)/08-यू0पी0आर्डी0-37-2008-आर्डर-(2)/2008 दिनांक 10-01-2008 के द्वारा वैट अधिनियम की अनुसुची -2 के भाग-ग के कमांक 255 पर **Mentha oil, dementhalised oil and menthol.** को प्रतिस्थापित का दिया गया है । इक्यूलिपिटस ऑयल उक्त प्रविष्टि में सम्मिलित नही है। अतः वैट अधिनियम की अनुसुची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत इक्यूलिपिटस ऑयल पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 11,अगस्त ,2008

ह0 11.8.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित ... प्रतिलिपि

वाणि... लखनऊ